रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273412
CG-DL-E-12062026-273412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948**
No. 425]	**NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

सा.का.नि. 475(अ).— जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक एवं निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ तथा सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने हेतु अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

2. और जबकि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के उपरांत, दिनांक 24 मार्च, 2026 के अपने पत्र संख्या ई.एफ.सं.22(4)/2026-साइबर कानून द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (जिसे आगे उक्त मंत्रालय कहा गया है), भारत सरकार (जिसे आगे उक्त सरकार कहा गया है) को, आधार प्रमाणीकरण सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे आगे उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु यह अनुमति प्रदान की है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को प्रमाणीकरण करने तथा आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जाए तथा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी,

लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन इसकी अधिसूचना जारी की जाए:

3. और जबकि सुशासन सुनिश्चित करने, सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय की रोकथाम तथा नवाचार को सक्षम बनाने एवं ज्ञान के प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग (जिसे आगे उक्त प्रयोजन कहा गया है), हेतु उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसार आधार प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है तथा उक्त प्रयोजन हेतु आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और उक्त विभाग केवल निम्नलिखित उपयोग के मामलों में आधार प्रमाणीकरण करेगा, अर्थात् - (क) विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के लिए तथा उनकी नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने के समय; और (ख) परीक्षा प्रक्रिया में संलग्न परीक्षा कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों के लिए, हाँ/नहीं अथवा/और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए। (जिसे इसके पश्चात् 'उपयोग के मामले' कहा जाएगा)

4. अतः, अब उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में तथा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, उक्त मंत्रालय एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करता है, नामत :-

1. (1) मंत्रालय, अधिनियम में उपबंधित अनुसार, यहाँ किए जाने वाले प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा तथा मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण से नकारने अथवा उसे कराने में असमर्थता जाहिर करने के कारण किसी भी आधार संख्या धारक को कोई सेवा देने से मना नहीं करेगा, नामत: -

(क) मतदाता पहचान पत्र

(ख) पैन कार्ड

(ग) ड्राइविंग लाइसेंस

(घ) पासपोर्ट

(ङ) अन्य सरकारी पहचान पत्र

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीए-18/03/2025-सीएयू और एएसआरबी]

ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE,

(Department of Agricultural Research and Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

G.S.R. 475(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviastes the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

2. And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. eF.No.22(4)/2026-CyberLaws, dated 24th March, 2026 to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agricultural Research & Education (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the Department of Agricultural Research and Education may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (herein referred to as the said act):

3. And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms to ensure good governance, prevention of dissipation of social welfare benefits; and enablement of innovation and spread of knowledge (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Department shall perform the Aadhaar authentication only for (a) candidates at various stages of examinations conducted by the department and at the time of their joining; and (b) examination functionaries involved in the examination process, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities. (hereinafter referred to as the use case(s)].

4 Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely:-

1. (1) The Ministry, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

(a) Voter ID Card

(b) PAN Card

(c) Driving License

(d) Passport

(e) Other Govt. IDs

2 This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. CA-18/03/2025-CAU & ASRB]

GYANENDRA DEV TRIPATHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA